वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.11.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,काशीवार्ता," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 02.11.2025

दो अवैध निर्माण को किया सील

जागरण संवाददाता, पड़ाव (चंदौली) : उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को जोन-5 क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे दो निर्माण स्थलों को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया, जिसमे पहला मामला प्रेम प्रकाश यादव का है। इन्होंने मौजा गोधना में रेवा पेट्रोल पंप के पास लगभग 126 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रथम तल पर सेंटरिंग का कार्य बिना स्वीकृति कर रहे थे। वहीं, दूसरा मामला अशरफ अली का है, जिन्होंने मौजा गोधना, वार्ड-नगवां, थाना अलीनगर क्षेत्र में करीब 3000 वर्गमीटर भूमि पर टीनशेड निर्माण कराया था।

काशीवार्ता –दि0 02.11.2025

अवैध निर्माणों को वीडीए ने किया सील

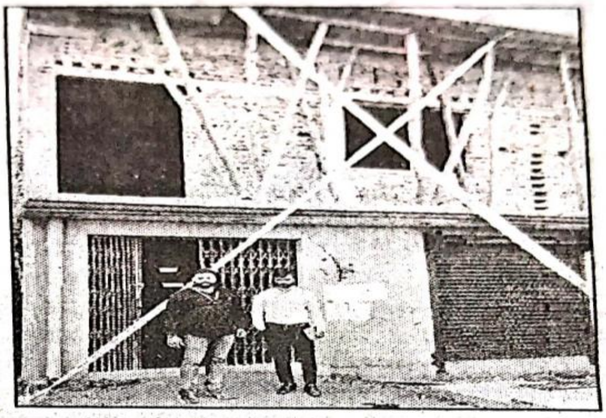

वाराणसी (काशीवार्ता)। विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को जोन-5, वार्ड मुगलसराय क्षेत्र में अवैध निमार्णों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने जोनल अधिकारी श्री प्रकाश और अवर अभियंता राजू कुमार के नेतृत्व में की। प्रवर्तन दल ने पहले प्रेम प्रकाश यादव द्वारा मौजा गोधना, रेवा पेट्रोल पंप के पास, थाना अलीनगर में लगभग 126 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रथम तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) व 28(2) के अंतर्गत सील किया। दूसरे मामले में अशरफ अली द्वारा मौजा गोधना, वार्ड नगवां, थाना अलीनगर में लगभग 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में टीनशेड निर्माण को भी उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सील किया गया। दोनों अवैध निमार्णों को संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने आमजन से अपील की कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।